न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –32 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 39

हुकुम कौर पत्नी स्व. श्री चॉद सिंह, मकान नम्बर 158, गली नंबर 7, पूनम कॉलोनी, कोटा पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा

–अपीलाण्ट.

वनाम

रेखा सिंह खिरवार पत्नी स्व. श्री वीरेंद्र सिंह (पुत्रवधु) पुत्री हाकिम सिंह खिरवार वर्तमान पता– मकान नंबर 158, गली नंबर 7, पूनम कॉलोनी, कोटा पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी
स्थायी पता 16 / 17, राणा मार्किट, वेस्ट शिवजी नगर, शाहगंज आगरा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 20.12.2024 मिसल नंबर 39 / 2019 जीसीएमएस नं0 2020 / 00175 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः–

1. श्री अरूण सिंह, अभिषक अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र कुमार शाहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक–20 .05.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर वास्ते प्रार्थीया को बतौर भरण पोषण राशि 20,000 /– दिलाये जाने का रेस्पोडेन्ट के विरूद्व प्रस्तुतशुदा, आदेश दिनांक 20.12.2024 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ खारिज किया है कि प्रार्थीया के पास आय के भरपूर स्रोत है ।

2. उक्त आदेश दिनांक 20.12.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2025 को पेश की गई है कि अपीलार्थीया 70 वर्षीया वृद्व होने के कारण वृद्वावस्था जनित बीमारियों से पीडित है । अपीलार्थीया सही तरीके से चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है । प्रत्यर्थिया रेखा मेरे पुत्र स्व. वीरेन्द्र की मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हो चुकी है । अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रत्यर्थिया के पिता हाकिम सिंह ने रेल सेवा विभाग में मुद्रा और साख के दम पर उसे दिलवाई है । प्रत्यर्थिया ने अपने पति पर झूंठे आरोप लगाये, उसके साथ मारपीट की है, दहेज मांगने के झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देवी थी । अनेक बार झूंठे आरोप लगा अपीलार्थीया के पुत्र वीरेंद्र सिंह को दंड प्रकिया संहिता की धारा 107 / 151 में पुलिस थाने में बंद करा देती थी । नन्ही तनिष्का को और हम सभी को मेरे पुत्र वीरेन्द्र के सामने, गंदी गंदी गालियां निकालती थी, जिससे वह मानसिक अवसाद में आ गया और अवसाद में रहने के कारण उसका देहांत दिनांक 01.01.2019 को हो गया । पुत्र वीरेंद्र सिंह प्रत्यर्थिया के अपराधों से पुत्री तनिष्का भाई शमशेर और अपीलार्थीया को बचाता रहता था किंतु दिनांक 01.01.2019 को उसके देहांत के बाद, अपीलार्थीया के लिए प्रत्यर्थिया और उसके परिवार वालों के द्वारा आदतन किये जा रहे अनेकों अनेक अपराध सहन करना मुश्किल हो गया तब अपीलार्थीया ने 13.5.2019 को अटल सत्य घटनाओं को वर्णित करते हुए पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को परिवार दिया जिस प्रथम सूचना

जिला कलक्टर
कोटा

रिपोर्ट संख्या 381/2019 दर्ज हुई । अपीलार्थीया द्वारा एसडीएम न्यायालय में भरण पोषण के लिए प्रत्यर्थिया के विरूद्व माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर माननीय एसडीएम न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है । क्योंकि उपरोक्त मामले में तथ्य स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से स्थापित करते है कि एसडीएम न्यायाधिकरण ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के Preamble को अनदेखा कर दिया है । अतः अधीकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 20.12.2024 को निरस्त फरमाया जाते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जावें और उचित आदेश पारित कर प्रत्यर्थिया रेखा सिंह को अपीलार्थीया के स्वअर्जित स्वामित्व व कब्जे वाले घर, मकान नं0 158 गली नं0 7 पूरम कॉलोनी कोटा से तत्काल बेदखल करने का आदेश फरमाया जावें । अपीलार्थीया को भरण पोषण की राशि 20,000/- प्रतिमाह एवं इलाज का खर्चा 10,000/- प्रतिमाह भुगतान के आदेश एवं प्रर्थीया एवं उसके परिवार वालों का पाबन्द किया जावे कि वे अपीलार्थीया और अपीलार्थिया के पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट, गाली गलौच ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के झूंठे आरोप लगावें, ना ही पुलिस में झूंठी शिकायते देवें पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जावें कि प्रत्यर्थिया के खिलाफ कार्यवाही कर अपीलार्थिया के जान माल की सुरक्षा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री विरेन्द्र कुमार शाहू का वकालतनामा पेश हुआ । अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली में गिरावट के कारण वृद्वावस्था एक बडी सामाजिक चुनौती बन गई है । बड़ी संख्या में वृद्व व्यक्तियों, विशेषरूप से विधवा महिलाओं की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जा रही है । उन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्ष अकेले बिताने के लिए मजबूर होना पडता है और वे भावनात्मक उपेक्षा के शिकार होते है तथा उन्हें वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाती है । इस सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए वृद्व व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक प्रावधान है जिसके तहत माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते है, लेकिन यह प्रकिया समय लेने वाली और महंगी है यह वांछित है कि पीडित माता पिता द्वारा भरण पोषण का दावा करने के लिए सरल, सस्ते और त्वरित प्रावधान किए जा सकते है । अपने वृद्व रिश्तेदारों की संपत्ति के उत्तराधिकारी व्यक्तियों पर उनका भरण पोषण करने का दायित्व डालने तथा निर्धन वृद्व व्यक्तियों के भरण पोषण के लिए वृद्वाश्रम स्थापित करने वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधां उपलब्ध करने तथा उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान करने के लिए संसद में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम पेश किया गया । क्योंकि न्यायाधिकरण का आक्षेपित निर्णय अधिनियम के उद्देश्यों और क़ारणों के कथन पर विचार करने में विफल रहा है जो स्पष्ट और निश्चित शब्दों में उन कारणों और उद्देश्यों को प्रदान करता है जिनके लिए अधिनियम को अधिनियमित किया गया । संसद द्वारा कानून बनाते समय विधवा महिलाओं के प्रति विशेष चिंता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है । माननीय अधीकरण ने प्रत्यर्थिया के जवाब में दिए गए गलत तथ्यों पर बिना साक्ष्य भरोसा कर, विधि की गलत व्याख्या पर अपीलार्थिया की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है । जिससे अपीलार्थिया अपनी सूर्यास्त उम्र के इस पडाव पर अपनी अपने पुत्र और अपनी पौत्री के जीवन की ओर अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस न्यायालय और शासन तंत्र में अकेली दौड़ भाग रही है और कहीं से भी उसे सहारा नहीं मिल रहा है, जबकि उसके सभी अधिकारों को संवेधानिक सुरक्षा प्राप्त है । प्रत्यर्थिया रेखा मेरे पुत्र स्व. वीरेन्द्र की मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

जिला कलक्टर
कोटा

हो चुकी है । अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रत्यर्थिया को पिता हाकिम सिंह ने रेल सेवा विभाग में मुद्रा और साख के दम पर उसे दिलवाई है जबकि प्रत्यर्थिया वीरेंद्र की बडी पुत्री तनिष्का के pocso अधिनियम में वर्णित अपराध भी किये है । वह पारिवारिक पेंशन भी ले रही है, जबकि मेरी पोत्री तनिष्का मेरा पुत्र शमशेर और मैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर है । दूसरा पुत्र शमशेर शत प्रतिशत विकलांग व लकवाग्रस्त है और मेरी पोत्री भी पढाई जीवन यापन और भविष्य की भी व्यवस्था करने में अपीलार्थिया सक्षम नहीं है । प्रत्यर्थिया का दायित्व है कि वे अपीलार्थिया का भरण पोषण करें, सेवा सुश्रुषा करें, बिमारी का ईलाज करवाये, प्रत्यर्थिया और उसके परिवारजन इसके विपरीत अपीलार्थिया की सेवा करने ओर अपीलार्थीया को स्नेह करने के स्थान पर अपीलार्थीया के साथ दुर्व्यवहार करते है, लडाई झगडा करते है, अपशब्द कह कर अपमानित करते है । अधीकरण यह जांच करने मे असमर्थ रहा है कि सम्पत्ति के लालच में प्रत्यर्थिया ने अपने माता पिता के सहयोग से अपीलार्थिया को तरह तरह के अपराध कर, मारपीट कर मृत्यु का ग्रास बना दिया गया है । अधीनकरण यह जांच करने में असमर्थ रहा है कि गांव बेरी जिला झज्जर में अपीलार्थिया की मात्र 0.97 बीघा से भी कम जमीन है, स्व. वीरेंद्र के भी हिस्से में पिता के देहांत के बाद मात्र 0.97 बीघा जमीन आयी थी, जिससे सप्ताह के भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती है और जिस मकान में रह रही है उसके अलावा किसी भी गांव शहर या देश में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य मकान या जमीन नही है । अधिकरण यह सही जांच करवाने में असमर्थ रहा है कि प्रत्यर्थिया ने स्वर्गीय वीरेंद्र की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त की है और उसने यह नौकरी स्व. वीरेंद्र की पहली पत्नी से पुत्री तनिष्का के साथ पोक्सो संबंधित अपराध करने के उपरांत भी अपने पिता हाकिम सिंह की मुद्रा ओर साख के दम पर हासिल की है । अधीकरण ने थानाधिकारी पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा द्वारा दी गयी झूंठी जांच रिपोर्ट पर पूर्ण रूप से भरोसा कर अपीलार्थिया के मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों का हनन ही नहीं बल्कि तहस नहस और बर्बाद किया है । थानाधिकारी ने अपीलार्थिया के बयान ही नहीं लिया गया, उसने केवल प्रत्यार्थीया के बयान लेकर एकतरफा ही झूंठी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । माननीय अधिकरण यह जांच करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है कि अपीलार्थिया अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति मकान नं0 158 गली नं0 7 पूनम कॉलोनी, कोटा की सर्वाधिकार युक्त एक मात्र स्वामिनी है तथा स्वेच्छानुसार सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है । उक्त सम्पत्ति समस्त सरकारी एवं विभागों में अपीलार्थिया के नाम दर्ज है । अपीलार्थीया जीवित रहते सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग एवं वितरण स्वेच्छा से करने की विधिक रूप से अधिकारिणी है । प्रत्यर्थिया के सभी आपराधिक कृत्यों से संबंधित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है उन सभी पर उचित कार्यवाहियां न्यायालय के निर्णयाधीन है । अधीकरण जांच करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है कि अपीलार्थिया के साथ प्रत्यर्थिया अत्यंत बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार करने लगी है तथा अपीलार्थीया की एकमात्र संपत्ति में उसके घर को जबरन कब्जा करने हेतु आमादा है तथा अपीलार्थिया को ही उसके मकान से ही जबरन बाहर निकाल देने पर आमादा है । प्रत्यर्थिया अपीलार्थिया के प्रति भरण पोषण के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे है । अपीलार्थिया एक वयोवृद्व एवं विधवा असहाय महिला है जो आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है । अपीलार्थिया स्व. वीरेंद्र सिंह की माता है, वीरेन्द्र सिंह जिसका देहांत होने पर प्रत्यर्थिया अनुकम्पा नियुक्ति पर रेल वर्कशॉप में एल डी सी के पद पर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 20.12.2024 को निरस्त फरमाया जाकर निम्न आदेश फरमाने की कृपा करें । अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय (2021) 15 Supreme Court Cases 730 :2020 ssc Online SC 1023 प्रस्तुत किये है ।

जिला कलक्टर
कोटा

- उचित आदेश पारित कर प्रत्यर्थिया रेखा सिंह को अपीलार्थिया के स्वअर्जित स्वामित्व व कब्जे वाले घर, मकान नं0 158, गली नं. 7 पूनम कॉलोनी कोटा से तत्काल बेदखल करने का आदेश फरमाया जावें ।

➢ प्रत्यर्थिया से अपीलार्थिया को भरण पोषण हेतु 20,000/– प्रति माह तथा ईलाज ओर दवाईयों के लिए खर्चा 10,000/– की राशि दिलवाये जावें ।

➢ प्रत्यर्थिया व उसके परिवार वालों का पाबन्द किया जावे कि वे अपीलार्थिया और अपीलार्थिया के पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट, गाली गलौच ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के झूंठे आरोप लगावें, पुलिस अधीक्षक के पास झूंठी शिकायत न देवें व पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जावें कि प्रत्यर्थिया के खिलाफ कार्यवाही कर अपीलार्थिया के जान माल की सुरक्षा करें ।

➢ अपीलार्थिया की इस अपील और मूल वाद में हुए खर्चो का भुगतान प्रत्यर्थिया से करवाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रथम तो अपीलांट द्वारा अपील के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है, इनको इस अपील में प्रस्तुत दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने कथनों का सत्यापन करना चाहिए था, इसके अलावा प्रस्तुत दस्तावेज केवल अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2024 के अतिरिक्त सभी दस्तावेज फोटो प्रतियां है, जबकि न्यायालय में कोई भी दस्तावेज पेश किये जाते है वह प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होनी चाहिए । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारी भरकम फोटो प्रतियां प्रमाणित नहीं है ओर ना ही निर्धारित कोर्टफीश की अदायगी की गई है ऐसी स्थिति में न्यायालय में पठन योग्य नहीं है । रेस्पोडेन्ट अपने स्वर्गवासी पति विरेन्द्र की पत्नि होने से पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन से अपना एवं अपने दोनों बच्चों का जीवन यापन कर रही है । अपीलांटा के पास गांव में जमीन है, रेस्पोडेन्ट के पास गांव बेरी जिला झज्जर में रेस्पोडेन्ट के पति के हिस्से की जमीन सहित सम्पूर्ण भूमि अपीलांटा के पास ही है जिसमें वह खेती कर आय अर्जित करती है, साथ ही अपीलांटा को पारिवारिक पेंशन के रूप में 20,000/– के लगभग पेंशन प्राप्त होती है । इस प्रकार अपीलांटा के पास आय के भरपूर स्रोत है । रेस्पोडेन्ट एक विधवा महिला है, जिसे अपने पति के पूनम कॉलोनी स्थित मकान से बेदखल कर मकान को बेचान करना चाहती है । जबकि इस मकान में रेस्पोडेन्ट का भी अधिकार है । अप्रार्थीया ने न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कम 1 उत्तर, कोटा में वाद स्थायी एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा विरूद्व हुकम कौर एवं शक्ति सिंह के विरूद्व प्रस्तुत कर वादग्रस्त मकान से बेदखल ना करने व रहन, बैय, हिब्बा आदि नहीं करने हेतु प्रस्तुत किया है जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 461/21 प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने मकान गली नं0 7 पूनम कॉलोनी, कोटा जंक्शन कोटा के बाबत दिनांक 9.12.2021 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है । सिविल न्यायालय से स्थगन होने से उक्त मकान से रेस्पोडेन्ट को बेदखल नहीं किया जा सकता है । अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व आरोप लगाये गये है कि अपीलार्थीया, तनिष्का व स्व0 वीरेंद्र के महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें एल आई सी पॉलिसी, मोबाईल फोन, सर्विस रिकार्ड एवं जेवर आदि चौरी करने का कथन अंकित किया है । प्रार्थीया अपीलांट द्वारा किये गये कथनों में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि हर पॉलिसी का कमांक याद रखना सामान्यतः सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कमांक 9–9 डिजिट का होता है । अपीलांट द्वारा बताये गये सम्पूर्ण जेवर, अप्रार्थीया का स्वयं का स्त्रीधन है जिसे उसे चोरी करने की आवश्यकता नहीं है । जबकि यह सम्पूर्ण स्त्रीधन अपीलांट के पास ही है । वह जानबूझकर अप्रार्थीया पर मिथ्यारोपण कर उसे मकान से बेदखल करने पर आमादा है । अपीलांट द्वारा पुत्री तनिष्का का आधार व डेट ऑफ बर्थ के सम्बन्ध में अप्रार्थीया पर झूंठा दोषारोपण लगाया गया है चूंकि अप्रार्थीया सदैव से ही पुत्री तनिष्का को अपनी सगी संतानों से भी बडकर प्रेम व स्नेह करती है । वर्तमान में विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो कम–1 कोटा न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में एफ आर स्वीकार की जा चुकी है जिसमें रूपयो, जमीन मकान एवं स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह की पेंशन एल आई सी के पैसे का झूठा केस लगाकर हथियाने का प्रयास अपीलांट हुकम कौर द्वारा किया गया था । प्रार्थीया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । प्रार्थीया अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 5(1) के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्यरूप से यह अनुतोष चाहा गया था कि अप्रार्थीया प्रार्थीया के पुत्र वीरेन्द्र सिंह की पत्नि है, वीरेन्द्र सिंह की दिनांक 01.01.2019 को मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थीया के एक अन्य पुत्र शमशेर सिंह है जो मानसिक रूप से विमंदित है, विरेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद अप्रार्थीया रेखा सिंह ने प्रार्थीया अपीलांट की अलमारी से दस्तावेज चुरा लिये एलआईसी के पॉलिसियां, सोने की 4 कान की वालिया, गले का सोने का सेट, हाथ की सोने की 4 चूडिया, हाथ का सोने का एक ब्रेसलेट कुल 19 तोला सोना एवं वीरेन्द्र की नोकरी से संबंधित दस्तावेज एवं प्रार्थीया की पोत्री कु. तनिष्का सिंह का आधार व जन्म प्रमाण पत्र एवं वीरेन्द्र की प्रथम विवाह विच्छेद के फैसले व डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपि आदि चुरा लिये । अप्रार्थीया आये दिन प्रार्थीया व विरेन्द्र की 12 साल की पुत्री को परेशान करने मारने पीटने लग गई तथा कई अत्याचार किये आदि तथ्य अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष में 20,000/— बतौर भरण पोषण की राशि की मांग की गई । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, थानाधिकारी की रिपोर्ट एवं रेखासिंह द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 461/21 विरूद्व हुकम कौर एवं शक्ति सिंह के विरूद्व वास्ते मकान गली नं0 7 पूनम कॉलोनी, कोटा जंक्शन कोटा में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.2021 को यथास्थिति बनाये रखने एवं वाद के विचाराधीन रहने से तथा प्रार्थीया के पास गांव बेरी जिला झज्जर में कृषि भूमि होने एवं 17—18 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होने से अप्रार्थीया के विरूद्व चाहा गया अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर आदेश दिनांक 20.12.2024 से निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीया के पास आय के पर्याप्त स्रोत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

- अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2024 के विरूद्व अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.02.2025 को जरिये अभिभाषक प्रस्तुत की गई है जो अन्दर मियाद है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2024 को निरस्त करते हुए रेस्पोंडेन्ट रेखा सिंह को अपीलार्थिया के स्वअर्जित स्वामित्व व कब्जे वाले घर मकान नं0 158, गली नं0 7 पूनम कॉलोनी कोटा से तत्काल बेदखल करने, रेस्पोडेन्ट से अपीलार्थिया को भरण पोषण राशि 20,000/— प्रतिमाह एवं इलाज का खर्चा 10,000/— प्रतिमाह अदा करने एवं रेस्पोंडेन्ट व उसके परिवार वालों को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलार्थिया और पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट, गाली गलौच ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के झूंठे आरोप न लगावें व पुलिस में झूंठी शिकायते नहीं करें तथा अपीलार्थिया की जानमाल की सुरक्षा हेतु पुलिस को आदेशित करें ।

- अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि अपीलार्थिया ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत माननीय अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 20.12.2024 को याचिका को स्वीकार किये जाने के सक्षम आधार होने के बावजूद भी गलत तथ्यों पर भरोसा कर कानून की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थिया की याचिका को खारिज किया है । अपीलांट ने अपील में आधार दिया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के preamble को अनदेखा कर दिया है, अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता की याचिका को खारिज किया जाना उस उद्देश्य और प्रयोजन का उल्लंघन करता है जिसके लिए अधिनियम को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर विधवा महिलाओं के भरण पोषण और कल्याण के लिए अधिनियमित निर्मित किया गया है । हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि यह अधिनियम माता पिता एवं वृद्वजनों के हितार्थ बनाया गया है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जो अनुतोष चाहा गया है तथा जिसके विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र एवं यह अपील प्रस्तुत की है वह अपीलांट की विधवा पुत्रवधु है, वह भी एक विधवा महिला है जो अपने स्वर्गवासी पति के बाद

जिला कलक्टर
कोटा

उनकी पेंशन से अपना एवं अपने दो पुत्रों का जीवन यापन कर रही है अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की अनुकम्पा नियुक्ति का कथन नहीं किया है, किन्तु इस अपील में कथन किया है कि रेखा सिंह विरेन्द्र के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति रेल्वे विभाग में एल डी सी के पद पर कार्यरत है किन्तु अपीलान्ट ने नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे रेस्पोडेन्ट के नियुक्ति की पुष्टि नहीं होती है । अपीलांटा रेस्पोडेन्ट रेखा सिंह को मकान नं0 158, गली नं0 7 पूनम कॉलोनी कोटा से बेदखली इस अपील के जरिये चाहती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली का अनुतोष नहीं चाहा गया था । केवल बतौर भरण पोषण 20,000/— की मांग की गई थी, चूंकि अपीलांट स्वयं द्वारा गांव बेरी जिला झज्जर में उसकी पैतृक जमीन होने का तथ्य अंकित किया है तथा अपील के साथ जमाबंदी भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलांटा के पति चांद सिंह के नाम 3.90 बीघा जमीन खाते में दर्ज होना जाहिर है, चांद सिंह की मृत्यु के बाद अपीलांटा हुकम कौर, विरेन्द्र सिंह, शमशेर सिंह, पूनम चौधरी के नाम प्रत्येक के 0.97 बीघा भूमि दर्ज होना जाहिर आया है जमीन भी अपीलांटा के ही कब्जे में होना एवं अपीलांटा को 20,000/— प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होने का कथन वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में किया है, इन्ही आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया अपीलांट के पास आय के पर्याप्त स्रोत होने से भरण पोषण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। अपीलांट का रेस्पोडेन्ट को मकान नं0 158, गली नं0 7 पूनम कॉलोनी कोटा से बेदखली के बिन्दु के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 461/21 विरूद्व हुकम कौर एवं शक्ति सिंह में दिनांक 9.12.2021 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित होने से इस अपील में उक्त वर्णित मकान से रेखा सिंह को बेदखल करने का चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है । वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय (2021) 15 Supreme Court Cases 730 :2020 ssc Online SC 1023 से हम सहमत है कि अधिनियम 2007 की धारा 7 के तहत गठित न्यायाधिकरणों को धारा 8 के तहत सिविल न्यायालयों की सभी शक्तियों के साथ जांच के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाएं संचालित करने की शक्ति है तथा अधिनियम 2007 की धारा 27 के तहत सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई है, किन्तु इस प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त मकान के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पूर्व से ही दिनांक 9.12.2021 से पारित किये हुए है, सिविल न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के विरूद्व कोई आदेश पारित किया जाना हम उचित नहीं पाते है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा नहीं होते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि प्रार्थीया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीया रेखा सिंह से बतौर भरण पोषण 20,000/— प्रतिमाह की राशि चाही गई थी, अपीलांटा के पास पर्याप्त आय के स्रोत होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । अपीलांटा द्वारा रेस्पोडेन्ट को वर्णित मकान नं0 158 गली नं0 7 पूनम कॉलोनी कोटा से बेदखली की प्रार्थना माननीय सिविल न्यायालय कोटा से दिनांक 9.12.2021 को यथास्थिति के आदेश होने से बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा